कक्षा – 11 द्वितीय प्रष्न पत्र
भारतीय अर्थ व्यवस्था के विकास भाग – 3

चन्द्र सिह चिराल
प्रवक्ता अर्थषास्त्र
के0एन0यू0रा0मॉ0इ0का0 पिथौरागढ़

भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां :

निर्धनता का अर्थ–साधारण शब्दों में निर्धनता का अर्थ व्यक्ति के रहन सहन के स्तर से लगाया जाता हैं जिसे हम दूसरा नाम गरीबी से लगाया जाता है। मनुश्य एक सामाजिक प्राणी हैं उसे तमाम प्रकार के सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता हैं साथ ही व्यक्ति को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा को पूरा करने में असमर्थ रहता हैं। उसे निर्धनता के रूप से जाना जाता है। दूसरे शब्दों में निर्धनता से तात्पर्य उस अवस्था से हैं जब समाज का एक वर्ग अपने जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए आवश्यक न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने में अपने को असमर्थ रहता हैं।

निर्धनों की पहचान कैसे होती है– निर्धनता रेखा आय के उस स्तर को कहते हैं जिससे कम आमदनी होने पर इंसान अपनी भौतिक जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ रहता हैं। गरीबी रेखा अलग–अलग देशों से अलग–अलग होती हैं उदाहरण के लिए – अमेरिका में निर्धनता रेखा भारत की तुलना में काफी ऊपर है। सर्वप्रथम योजना आयोग ने सितम्बर 1989 में प्रो0 डी0वी0 लकड़वाला की अध्यक्षता में एक फार्मूला दिया, इनके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी का न्यूनतम उपभोग मिलना चाहि। वर्श 1999–2000 में निर्धनता–रेखा को ग्रामीण क्षेत्रों में 328 रु0 प्रतिव्यक्ति प्रति माह उपभोग के रूप में परिभाषित किया गया, 2011–12 में निर्धनता रेखा के निर्धारण हेतु न्यूनतम् उपभोग व्यय के रूप में दिया जिसमें रंगराजन समिति शहरी क्षेत्र 1407रू0 प्रति ग्रामीण क्षेत्र में 972 प्रति माह या 32रु0 प्रतिदिन प्रतिमाह या 47रू0 प्रतिदिन तथा तेंदुलकर समिति शहरी क्षेत्र 1000रू0 प्रतिमाह तथा 33रू0 प्रतिदिन तथा ग्रामीण क्षेत्र में 816रू0 प्रतिमाह या 27रू0 प्रतिदिन परन्तु निर्धनता का माप दो रूप में मापा जा सकता है– निरक्षेप निर्धनता– निरक्षेप निर्धनता से अभिप्राय है मानव की आधारभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़ा, स्वास्थ्य सुविधा, मकान, शिक्षा आदि की पूर्ति हेतु पर्याप्त वस्तुओं व सेवाओं को जुटा पाने की असमर्थता है। निरपेक्ष निर्धनता देश की उस जनसंख्या को सूचित करती है जो न्यूनतम उपभोग स्तर प्राप्त नहीं कर पाती और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है।

सापेक्ष निर्धनता– सापेक्ष निर्धनता आय में पायी जाने वाली असमानताओं को प्रकट करती है, सापेक्ष निर्धनता अन्तर्राश्ट्रीय आर्थिक असमानता अथवा क्षेत्रीय आर्थिक असमानताओं का बोध कराती है, दूसरे शब्दों में विभिन्न वर्गों, विभिन्न प्रदेशों अथवा विभिन्न देशों, की तुलनात्मक आय का प्रदर्शन सापेक्ष निर्धनता का बोध कराता है।

रैगनर नर्कसे के विचार – रैगनर नर्कसे सम्भवतया पहला अर्थशास्त्री था जिसने निर्धनता के दुश्चक्र को सही ढंग से स्पश्ट करने का प्रयास किया है। उन्होने इस शब्द का प्रयोग अल्पविकसित राश्ट्रों के संदर्भ में उनकी एक प्रमुख विशेशता के रूप में विकसित किया है उनका यह प्रचलित कथन है कि "एक देश इसलिए निर्धन है, क्योंकि वह निर्धन है।" वास्तव में निर्धनता के दुश्चक्र पर ही आधारित है। नर्कसे महोदय ने निर्धनता के दुश्चक्र से अभिप्राय इस प्रकार लगाया गया है।
"निर्धनता के दुश्चक्र का अर्थ है, नक्षत्र–मण्डल के समान वृताकार ढंग से घूमती हुई ऐसी शक्तियों से है, जो एक दूसरे को इस प्रकार क्रिया–प्रतिक्रिया करती है कि एक निर्धन देश निर्धनता की अवस्था में ही बना रहता है।" उदाहरण के लिए एक निर्धन व्यक्ति को खाने के लिए प्रयाप्त खाद्य नहीं मिल पाता, खाद्य के

कमि के कारण वह निर्बल हो जाता है, शारीरिक रूप से निर्बल होने के कारण उसकी कार्यक्षमता में कमी आ जाती है उत्पादन भी कम हो जाता है।
यह नक्षत्र–मण्डल के समान वृताकार ढंग से घूमती है

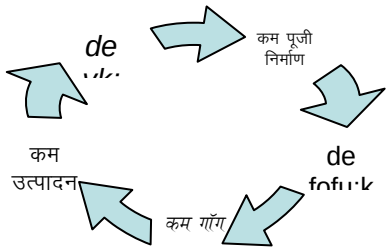

चित्र न0–1

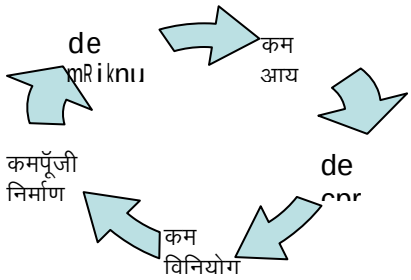

चित्र न0–2

आय के कम होने से पूरा चक्र हो जाता है।

भारत में निर्धनता एवं निर्धनों की संख्या निर्धनता अनुपात

वर्ष	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र
तेन्दुलकर समिति (2011–12)	25.7	13.7
रंगराजन समिति (2011–12)	30.9	26.3

भारत में निर्धनता के कारण– भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की भॉति भारतीय अर्थव्यवस्था भी गरीबी के दुश्चक्र में फॅसी है भारत में निर्धनता के मुख्य कारण निम्नलिखित है–

1.आर्थिक कारण–

1–कृषि पर अत्यधिक निर्भरता–भारत की राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय कम होने का एक प्रमुख कारण कृषि पर अत्यधिक निर्भरता है। कृषि क्षेत्र पर बढ़ता जनसंख्या दबाव, जोतों का उत्तरोत्तर छोटी होना सिंचाई सुविधाओं का अभाव के कारण कृषि क्षेत्र के उत्पादन में कमी होना है।

2. सीमित औद्योगिक करण– भारत की निर्धनता का एक प्रमुख कारण औद्योगिक पिछड़ापन है और यहा आधुनिक ढंग के आधारभूत बढ़े उद्योगों का अभाव है।

3.पूॅजी निर्माण की नीची दर– भारत में गरीबी के दुश्चक्र की क्रियाशीलता के कारण कम उत्पादकता, कम आय, कम बचत, कम निवेश का संचय क्रम चलता रहता है जिसका परिणाम पूॅजी निर्माण की धीमी दर के रूप में सामने आता है।

4. आधारित संरचना का अभाव– भारत में आर्थिक विकास के लिए आवश्यक संरचना अर्थात यातायात (रेलवे,सड़क,जलमार्ग,विद्युत ऊर्जा) का प्रयाप्त विकास नहीं हुआ है।

5. योग्य साहसी का अभाव–आर्थिक विकास में साहसी की निर्णायक एवं सक्रिय भूमिका है साहसी अपने तकनीकी ज्ञान, दृश्टिकोण एवं अनुभव के आधार पर उत्पादकता को बढ़ाता है परन्तु भारत में इसकी कमी है।

6. जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि– भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है परन्तु आय स्तर में अपेक्षाकृत वृद्धि नहीं हो पा रही है।

7. राश्ट्रीय आय का असमान वितरण– भारत में आय का वितरण में असमानता है। नियोजन काल के दौरान कुछ औद्योगिक घरानों के हाथ में आर्थिक शक्तियों का केन्द्रीकरण देखने को मिला छोटे उद्यमियों की उपेक्षा की गयी जिससे धनी और धनी होता गया और निर्धन व्यक्ति और निर्धन होता गया।

2. सामाजिक कारण– भारत में अनेक ऐसी सामाजिक रूढ़ियॉ और परिस्थितियॉ उपस्थित है जिसके कारण विकास कार्यो में बाधा उत्पन्न हो जाती है–

1. लोग जातिवाद, धर्मवाद और पुरानी परम्परागत रूढियों में इतने बधे है कि वे नये परिस्थितियों को नहीं अपनाना चाहते।
2. भारत में जन साधारण का भाग्यवादी दृश्टिकोण है जो देश की आर्थिक प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
3. भारत में जातिवाद एवं संयुक्त परिवार प्रणाली भी आर्थिक विकास में बाधक है।
4. भारत में लोगों की अशिक्षा व अज्ञानता विकास में बाधक है।
5. देश में बाल विवाह का अभी भी प्रचलन है जिसके कारण जनसंख्या में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है।

3. राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण–भारत दीर्घकाल तक विदेशी शासकों के हाथों में रहा है। जिसके कारण भी हमारे देश का आर्थिक विकास नही हो सका और प्रतिव्यक्ति आय कम रही जैसे ब्रिटिश शासकों की नीति स्वार्थपूर्ण थी, भारत में कच्चा माल खरीदना और ब्रिटेन के निर्मित माल को भारत में बेचना जिससे भारत के उद्योगों का विकास नहीं हो सका। साथ ही प्रशासनिक क्षमता भी निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है। भारत में व्याप्त प्रशासनिक भ्रश्टाचार, भाई भतीजावाद, घूसखोरी आदि विविध पहलूॅओं ने देश के निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों को सफल नहीं होने दिया है।

निर्धनता उन्मूलन के सरकारी प्रयास– भारतीय नियोजन का आरम्भ से ही एक दीर्धकालीन उद्देश्य रहा है– रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन इस उद्देश्य की पूर्ती के लिए देश की बहुआयामी रणनीति अपनोई गई जो इस प्रकार है–

1. आर्थिक विकास दर में वृद्धि के प्रयास।
2. धन एवं आय के वितरण में समानता स्थापित करने के प्रयास।
3. जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास।
4. गरीब वर्ग को आवश्यक वस्तुओं के उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के प्रयास।
5. भूमि सुधार कार्यक्रम लागू करके छोटे व सीमान्त किसानों को भू–स्वामित्व देने के प्रयास।
6. क्षेत्रीय विकास कार्यो को प्रोत्साहन देकर क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के प्रयास।
7. न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण।
8. सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी अनेक अधिनियम बनाकर विभिन्न क्षेत्रों के श्रमिको को सुरक्षा देने के प्रयास।
9. शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करके गरीब वर्ग को शिक्षित बनाने के प्रयास।

गरीबी व बेरोजगारी निवारण के विशिष्ट कार्यक्रम– भारत में गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन के अनेक विशिश्ट कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये उसमें से वर्तमान में चल रहे निम्नांकित कार्यक्रम प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है–

1.राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन– ग्रमीण क्षेत्रों में निर्धनता निवारण के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरूआत स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के पुनर्गठन के पश्चात केन्द्र सरकार द्वारा 3 जून 2011 को की गई। इस मिशन के तहत ग्राम स्तर पर स्वयं सहायता समूहों को फेडरेशन के रूप में गठित कर उसके माध्यम से लाभप्रद स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करा कर उन्हें बेहतर जीवन यापन का स्थायी

आधार प्रदार करने की सरकार की योजना है। इस मिशन का उद्देश्य वर्श 2024–25 तक सभी ग्रामीण परिवारों को संगठित करना और उन्हें लगातार तब तक सम्पोशित करनो और सहायता देना है।
2. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना– ग्रामीण निर्धनता युवाओं के लिए रोजगार से जुड़ी यह एक कौशल विकास स्कीम है। 25 सितम्बर 2014 को घेषित यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक हिस्सा है इस योजना वैसे 10 लाख गरीब ग्रामीण युवकों को लाभ देगी। जिन्हे सतत रोजगार देकर कुशलता के लिए तैयार करना।
3. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना– ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के समग्र उद्देश्य सहित स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, आवास तथा ग्रामीण सड़कों जैसे पॉच महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर पर विकास करने पर ध्यान देने के उद्देश्य से यह योजना वर्श 2000–01 में शुरू की गयी जो निम्न है–

1.प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
2.प्रधानमंत्री गामीण आवास योजना
3.प्रधानमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना

4. राष्ट्रीय शहरीय आजीविका मिशन– स्वर्ण जयंती शहरीय रोजगार योजना का उद्देश्य शहरी निर्धन लोगों को स्व–सहायता समूहों में संगठित करना, शहरीय गरीबों को रोजगार के लिए कौशन प्रशिक्षण देना, और सब्सिडी ब्याज दरों पर ऋण देकर स्व– रोजगार चलाने के लिए सहायता करना।

5. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम– वर्ष 1995 से प्रारम्भ इस कार्यक्रम का उद्देश्य वृद्ध, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में रोजी–रोटी कमाने वाले प्रमुख व्यक्ति के निधन की स्थिति के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

6. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम– स्वरोजगार के अधिक अवसर सृजित करने के लिए 15 अगस्त 2008 लागू की गई, इस योजना का संचालन ग्रामीण क्षेत्रों में खादी एवं ग्रामो उद्योग आयोग (केवीसी) तथा शहरी क्षेत्रों में जिला उद्योग केन्द्र (डाइस) द्वारा किया जाता है।

7. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना– यह योजना अप्रैल 2015 में लागू की गई योजना के तहत देश के दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुचाना है।
8. महात्मागॉधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी अधिनियम अथवा मनरेगा कार्यक्रम –महात्मागॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम का शुभारम्भ 2 फरवरी 2006 को देश के सबसे पिछड़े 200 जिलों का किया गया, बचे हुए अन्य जिलों में अर्थात सम्पूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2008 से यह कार्यक्रम को लागू किया गया। "काम के बदले अनाज योजना" व सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय इसमें कर दिया गया है। वर्तमान में यह योजना देश के 661 जिलों में 8856 विकास खण्डों की 257844 ग्राम पंचायतों में लागू है।

योजना के प्रमुख विशेषताऐ–

1. पात्रता– ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार के वयस्क व्यक्तियों को एक वित्तीय वर्श में एक परिवार को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना।
2. ग्रामीण परिवारों का पंजीकरण एदस्यों के नाम, उम्र, लिंग एवं पता देकर पंजीकरण करवा सकते है।
3. काम के लिए आवेदन व बेरोजगारी भत्ता व रोजगार पाने के लिए पंजीकृत परिवार के प्रत्येक वयस्क सदस्य को काम के लिए लिखित आवेदन देना होता है, यदि पात्र आवेदक को कार्य की

माँग के 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाता हो तो उसे रोजगार भत्ता दिया जाता है।

4. न्यूनतम मजदूरी– राज्यों में कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम 100 रूपये का भुगतान किया जाता है तथा योजना का 33 प्रतिशत लाभ महिलाओं को होगा।
5. राश्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, 2013– राश्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अर्न्तगत राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कर दिये जाने के बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है, इस अधिनियम/योजना के प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित है–

1. यह योजना मूलतः 3 जुलाई 2013 को जारी राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश 2013 द्वारा जो 5 जुलाई 2013 से प्रभावित हुआ लागू की गयी।
2. हरियाणा तथा उत्तराखण्ड दो राज्यों व केन्द्रशासित क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र इस योजना को 20 अगस्त 2013 को लागू करने वाले अग्रणी राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र बने।
3. इस योजना के तहत अधिनियम की धारा10(1) के अर्न्तगत चिन्हित प्राथमिकता परिवारों के प्रत्येक व्यक्ति को 5 किग्रा खाद्यान्न प्रति व्यक्ति रियायती दर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्यों की दुकान से मिलेगी, अन्त्योदय अन्न योजना के अर्न्तगत परिवार को 35 किग्रा खाद्यान्न मिलेग।
4. योजना के लिए खाद्यान्न केन्द्र सरकार उपलब्ध करायेगी।
5. योजना के अर्न्तगत खाद्यान्नों का निर्गम मल्य 3.00 रूपया प्रति किग्रा की दर से चावल 2.00 रूपया प्रति किग्रा की दर से गेहूँ तथा 1.00 रूपया प्रति किग्रा की दर से मोटा अनाज उपलब्ध होगा।

   6 माह से 6 वर्ष तक की आयू वर्ष के बच्चों, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को आगनबाड़ी के स्तर से पका पौष्टिक भोजन निशुल्क मिलेगा। प्रसवोत्तर महिलाओं को 6000 मातृत्व लाभ किस्तों में मिलेगा।

मूल्यांकन– आज भारत में एन.एस.एस.ओ. की 2015 की रिपोर्ट के अनुसार 26.7 प्रतिशत लोग निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। सरकार योजनाओं को तो लागू करती है परन्तु उसका क्रियान्वयन धरातल पर सही ढंग से लागू नहीं हो पाता है, तमाम कोशिशों के बावजूद भी लोग दोजून की रोटी जुटाने में असमर्थ रहते हैं।

प्र0–निर्धनता का क्या अर्थ है।
प्र0–निर्धनता रेखा किसे कहते है।
प्र0–सापेक्ष और निरपेक्ष निर्धनता में अन्तर बताईये।
प्र0–मनरेगा कार्यक्रम के उद्देश्य बताईये।
प्र0–भारत में गरीबी की समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का उल्लेख कीजिए।

कक्षा – 12 द्वितीय प्रष्न पत्र
समष्टि अर्थ'kkL= d! f l }kUr

चन्द्र सिह चिराल
प्रवक्ता अर्थ'ाास्त्र
(के0एन0यू0रा0मॉ0इ0का0 पिथौरागढ़)

मुद्रा की परिभा"ाा एवं कार्य–विनिमय की प्रारम्भिक अवस्था में विनिमय प्रणाली प्रचलित थी जिसे वस्तुविनिमय अथवा अदल–बदल भी कहा जाता था। वस्तुविनिमय व्यापार का एक अति असुविधाजनक एवं दोषपूर्ण ढंग था जिसका प्रयोग केवल एक पिछड़े समाज में कुछ विशेष परिस्थितियों में ही सम्भव हो सकता था। मुद्रा का जन्म निस्सन्देह वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों से प्रेरित होकर ही हुआ होगा।

वस्तुविनिमय वस्तुओं की वस्तुओं तथा सेवाओं के साथ अदल–बदल की प्रणाली को वस्तु विनिमय अथवा अदल–बदल कहते हैं, मुद्रा के माध्यम के बिना एक वस्तु का दूसरे वस्तु में आसानी के साथ सीधा विनिमय ही वस्तुविनिमय कहलाता है।

आ.पी. केन्ट के शब्दों में–एक वस्तु विनिमय मुद्रा का विनिमय माध्यम के रूप में प्रयोग किए बिना वस्तुओं का वस्तुओं के लिए प्रत्यक्ष विनिमय है।

एस.ई. थॉमस के शब्दों में–एक वस्तु का दूसरी वस्तू से प्रत्यक्ष विनिमय वस्तुविनिमय कहलाता है।

उदाहरण–

एक गाँव में एक किसान है उसके पास अपनी आवश्यकता से ज्यादा चावल है एक जुलाहा है जिसके पास अतिरिक्त पकपड़ा है कियसान को कपड़े की आवश्यकता है, जुलाहे को चावल की आवश्यकता है, आवश्यकता का यह दोहरा संयोग किसान और जुलाहे के बीच वस्तु द्वारा वस्तु का विनिमय उत्पन्न कराता है, जुलाहे किसान को कपड़ा तथा किसान जुलाहे को चावल देता है, दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति बिना मुद्रा के सम्भव हो पाता है।

वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ

1.दोहरे संयोग का अभाव– वस्तुविनिमय प्रणाली के अर्न्तगत विनिमय केवल उसी समय सम्भव हो सकता है जबकि व्यक्तियों के पास एक–दूसरे की आवश्यकता की वस्तु हो और साथ ही वे आपस में बदलने के लिए तैयार हो, परन्तु ऐसा संयोग में सदैव सम्भव नहीं है।

2.क्रयशक्ति संचय में कठिनाई– वस्तुविनिमय प्रणाली में एक प्रमुख कठिनाई यह है कि भविष्य के लिए विनिमय शक्ति का संचय नहीं किया जा सकता क्योकि अधिकाश वस्तुऐं क्षयशील प्रकृति की होती है, जिसके फलस्वरूप पूँजी निर्माण सम्भव नहीं हो पाता।

3.सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव– वस्तु–विनिमय प्रणाली के अन्तर्गत मूल्य का कोई मानक न होने के कारण विनिमय की जाने वाली प्रत्येक वस्तु का मूल्य निश्चित करना कठिन है, अदाहरण के लिए– यह कैसे निश्यित किया जाय– चावल के बदले कितना कपड़ा देना पड़ेगा।

4.वस्तु विभाजन में कठिनाई– विनिमय होने वाली वस्तुओं में कुछ वस्तुऐं ऐसी होती है, जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता है, यदि उनका विभाजन किया जाय तो वस्तु की उपयोगिता नष्ट हो जाती है, जैसे जीवित जानवर का यदि व्यक्ति बकरी के बदले में गेहू तथा चावल चाहता है तो यह सम्भव नही है।

5.भावी भुगतान का अभाव– बहुत सी वस्तुओं का क्रय विक्रय ऐसे होते है, जिनका भुगतान तुरन्त न होकर भविष्य में किया जाता है ऐसा वस्तु विनिमय प्रणाली में सम्भव नहीं होता है।

परन्तु वस्तु निनिमय प्रणाली की कठिनाईयों के कारण ही मुद्रा का आविष्कार हुआ, मुद्रा का आरम्भ कब और कैसे हुआ, यह बताना सम्भव नही है, सभ्यता के अन्य मूलभूत तत्वों की भॉति मुद्रा भी एक अत्यन्त प्राचीन तत्व है किनका मानव सभ्यता के विकास के साथ–साथ क्रमिक विकास होता आया है।

ऐसे प्रभाण मिलते है कि प्रारम्भ में पशुओं तथा वस्तुओं का मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जैसे चन्द रोजाओं के शासन में गाय को मुद्रा घोषित किया गया था बाद में धातु के सिक्कों का प्रयोग किया जाने

लगा, अगली अवस्था पत्रमुद्रा के चलन की थी, बैंको के चलन एवं विकास होने पर साख–मुद्रा का विकास हुआ और चैकों ड्राफ्ट का प्रयोग शुरू हुआ।

भारत में मुद्रा शब्द का प्रयोग उस संकेत–चिन्ह अथवा परिचय–चिन्ह के लिए किया जाता था, जो राजदरबार की ओर से किसी व्यक्ति को प्राप्त होता था, वर्तमान युग में भी मुद्रा से अभिप्राय राज्य द्वारा जारी किये गये उस संकेत–चिन्ह से है, जिसके द्वारा देश में सम्पूर्ण लेन–देन होता है, अंग्रेजी भाषा का शब्द मनी लैटिन भाषा के शब्द मोनेटा से बना है। मोनेटा देवी जूनो का दूसरा नाम है, जिसके मन्दिर में प्रचीन रोम में सिक्कों की ढलाई होती थी।

मुद्रा का अभिप्राय एवं परिभाषा–मुद्रा एक ऐसी वस्तु है, जिसे विस्तृत रूप में विनिमय का माध्यम, मूल्य के मापक तथा मूल्य के संचय के साधन के रूप में स्वतन्त्र एवं सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है।

मुद्रा की परिभाषाऐं

1.वर्णात्मक या कार्यात्मक परिभाषाऐं–

क. कौलबौर्न के अनुसार–"मुद्रा वह है जो मूल्य मापक और भुगतान का साधन हैं।"

ख. हार्टले विदर्स के अनुसार–"मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करें।"

ग. प्रो0 थॉमस के शब्दों में–"मुद्रा किसी आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति का साधन है, अर्थात जो दूसरी वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए दी जाती है।"

2.वैधानिक परिभाषाऐं–

नैप के अनुसार–"कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा कहलाती है।"

3. सामान्य स्वीकृति की परिभाषाऐं–

क. सैलिगमैन के अनुसार–"मुद्रा वह वस्तु है जिसे सर्वग्राह्यता प्राप्त है।"

ख. कोल के अनुसार–"मुद्रा केवल क्रय शक्ति है अर्थात ऐसी वस्तुं है जो साधारणतः व्यापक पैमाने पर भुगतान के रूप में प्रयोग की जाती है।"

ग. कीन्स के अनुसार–"मुद्रा वह है जिसको देकर ऋण प्रसंविदाओं तथा कीमत प्रसंविदाओं का भुगतान किया जाता है।"

अतः मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो समाज में विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापन, स्थगित भुग्तानों के मान तथा मूल्य के संचय के माध्य के रूप में स्वतंत्र, विस्तृत तथा सामान्य रूप से लोगों द्वारा स्वीकार की जाती है।

मुद्रा के कार्य

क. प्राथमिक कार्य–मुद्रा प्राथमिक कार्य में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है–

1. विनिमय का माध्यम– वस्तुविनिमय प्रणाली के देहरे संयोग की समस्या का निदान मुद्रा द्वारा किया जाता है।
2. मूल्य का मापक– मुद्रा मूल्य मापक की इकाई का कार्य करती है दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि मूल्य को मापने के लिए मुद्रा के प्रयोग करने से आर्थिक गणना का कार्य बहुत अधिक सरल हो सकता है।

ख. गौण या सहायक कार्य–मुद्रा के प्राथमिक कार्य के बाद द्वितीय कार्य निम्न है–

1. स्थगित भुगतान का मान– जिन लेन–देनों का भुगतान तत्काल न करके भविष्य के लिए स्थगित कर दिया जाता है, उन्हे स्थगित भुगतान कहा जाता है। मुद्रा को स्थगित भुगतानों का मान इसलिए माना गया है क्योकि अन्य वस्तुओं की तुलना में मुद्रा स्थिर, टिकाऊ तथा सामान्य स्वीकृति का गुण पाया जाता है।
2. मूल्य का संचय– मनुष्य की यह प्रवृत्ति है कि वह वर्तमान आय को भविष्य के लिए जमा करता है, यह भी मुद्रा द्वारा सम्भव है।

3. मूल्य का हस्तान्तरण– मुद्रा विनिमय का तरल साधन है, अतः मुद्रा द्वारा मूल्य अथवा क्रय शक्ति का हस्तान्तरण बहुत सरलता से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को और एक स्थान से दूसरे स्थान को किया जा सकता है, इस प्रकार वर्तमान समय में मुद्रा मूल्य के हस्तान्तरण का सर्वोत्तम साधन बन गयी है।

ग.आकस्मिक कार्य–

1. साख का आधार– आधुनिक अर्थव्यवस्था में साख की महत्वपूर्ण भूमिका है, आज साखपत्रों का उपयोग मुद्रा की भाँति किया जाता है, मुद्रा को आधार मानकर साखपत्र जारी किया जाता है।

2. सामाजिक आय वितरण का आधार– वर्तमान अर्थव्यवस्था में उत्पादन का कार्य सामूहिक रूप से किया जाता है। इस सामूहिक उत्पादन में उत्पादन के विभिन्न साधनों (भूमि,श्रम,पूँजी,संगठन तथा साहसी) का महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तथा उत्पादन के सभी साधनों के योगदान के बदले उचित पारिश्रमिक दिया जाता है।

3. पूँजी की तरलता गति में सहायक– मुद्रा का पूँजी के रूप में लाभदायक उपयोग सम्भव है। उदाहरण के लिए– कोई व्यक्ति मकान,जमीन अथवा अचल सम्पत्ति के रूप में भुगतान अस्वीकार करता है परन्तु मुद्रा के रूप में नहीं।

4. अधिकतम सन्तुष्टि का आधार– आधुनिक समाज में प्रत्येक उपभोक्ता अपनी आय का उपयोग करके अपनी सन्तुष्टि को अधिकतम करना चाहता है जो मुद्रा द्वारा ही सम्भव है।

5. शोधन क्षमता की गारण्टी– आधुनिक युग में मुद्रा के इस कार्य का बहुत अधिक महत्व है। इसलिए अपनी शोधन क्षमता बनाये रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति, फर्म, बैंक या बीम कम्पनी को मुद्रा के रूप में कुछ ना कुछ धन जमा रखना पड़ता है। इस प्रकार उसकी शोधन क्षमता सुरक्षित रहती है। यदि कोई फर्म अपनी मौद्रिक देनदारी पूरी न कर सके तो उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। इसप्रकार मुद्रा शोधन क्षमता की गारण्टी प्रदान करती है।

6.निर्णय की वाहक– मुद्रा निर्णय का वाहक है क्योकि एकत्रित की गयी मुद्रा का भविष्य में अपनी इच्छानुसार अच्छे कार्य के लिए उपयोग किया जा सकता है।

मुद्रा की माँग

प्रो0 जे.एम.कीन्स ने मुद्रा की माँग को तरलता पसन्दगी के साथ सन्दर्भित किया है। कीन्स की शब्दावली में तरलता पसन्दगी का अर्थ है– जनता द्वारा नगदी के रूप में मुद्रा की माँग। कीन्स के अनुसार तरलता पसन्दगी अर्थात मुद्रा की माँग तीन उद्देश्य से की जाती है–

1. सौदा उद्देश्य– व्यक्ति अपने पास कुछ नकदी रखता है जो व्यति को प्रतिदिन दैनिक वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग कर सके तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सके उदाहरण के लिए–दूध, सब्जी, यात्रा हेतु नकद रूप से मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है।
2. दूरदर्शिता का उद्देश्य– प्रत्येक व्यक्ति मुद्रा की एक निश्चित मात्रा नकदी के रूप में रखनो चाहता है ताकि वह कुछ अप्रत्याशित दुर्घटनाओं (जैसे बीमारी, दुर्घटना आदि) से स्वयं का बचाव कर सके।
3. सट्टा का उद्देश्य– यह उद्देश्य नकद रूप में मुद्रा की उस माँग को प्रदर्शित करता है। जिसकी सहायता से बाजार में होने वाले ब्याज दारों के परिवर्तन अर्थात ब्रांडों की कीमत में परिवर्तन का लाभ उठाया जा सके।

साख निर्माण प्रक्रिया– साख निमार्ण की दो प्रक्रिया है–

1.प्राथमिक एवं नकद जमाएं

2.व्युत्पन्न अथव गौण जमाएं

1. प्राथमिक जमाऐ–प्राथमिक जमाए वो जमाए है जो जमाकर्ताओं द्वारा बैंक में वास्तविक मुद्रा के रूप में नकदी के रूप में जमा की जाती है। उदाहरण के लिए– यदि किसी ग्राहक ने ग्रामीण बैंक में अपनी बचत या किसी अन्य खाते में रूपये 10000 नकद जमा करता है तब यह 10000रू0 ग्रामीण बैंक के लिए उसकी नकद या प्राथमिक जमाए है।

2. व्युत्पन्न अथवा गौण जमाए– इसके विपरीत जब बैक किसी व्यक्ति को ऋण देता है। तब वह बैंक अपने ही बैंक में उसके खाते में उस ऋण राशि को डाल देता है। तब उस खाते में बैंक द्वारा लिखी गई धनराशि व्युत्पन्न जमा कहलाती है। व्युत्पन्न जमा प्राथमिक जमा का परिणाम है।

भारतीय केन्द्रीय बैंक (रिजर्वबैंक ऑफ इण्डिया)

भारतीय रिजर्वबैंक ऑफ इण्डिया की सीापना 1935 में हुई थी वर्तमान में रिजर्वबैंक ऑफ इण्डिया के गर्वनर उर्जित पटेल हैं रिजर्व बैक का केन्द्रीय कार्यालय प्रारम्भ में कोलकत्ता में था स्थापित था जिसे 1937 में मुंबई में स्थानान्तरित किया गया। प्रारम्भ में यह निजी स्वामित्व का बैंक था 1949 में राष्ट्रीकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। "भारत में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने की दृष्टि से बैक नोटों के निर्गमन को विनिमित करना तथा प्रारक्षित निधि को बनाये रखना और सामान्या रूप से देश के हित में मुद्रा व ऋण प्रणाली संचालित करना, अत्यधिक जटिल अर्थव्यवस्था की चुनौती से निपटने के लिए आधुनिक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क रखना, वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुऐ मूल्य स्थिरता बनाए रखना।"

रिजर्वबैंक के प्रमुख कार्य–

1. नोट निर्गमन का एकाधिकार– वर्तमान समय में संसार के प्रत्येक देश में नोट छापने का एकाधिकार केवल केन्द्रीय बैंक को ही प्राप्त है और केन्द्रीय बैक द्वारा जारी किये गये नोट सारे देश में असीमित विधिग्रह्य के रूप में घोषित है।
2. सरकार का बैकर, एजेण्ट, वित्तीय परामर्शदाता– व्यापारियों और सामान्य व्यक्तियों की भाँति सरकार को भी सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है, केन्द्रीय बैक के रूप में वे सभी कार्य करता है। जो व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए करता है। साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करता है साथ ही घाटे की वित्त व्यवस्था, अवमूल्यन, व्यापार नीति, विदशी विनिमय दर निर्धारण में परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है।
3. बैंकों का बैंक– केन्द्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों के लिए बैंकर का कार्य करती है, केन्द्रीय बैंकों का अन्य बैंकों के साथ वही संबंध रहता है, जो एक साधारण बैंक का ग्राहक के साथ।
4. अन्तिम ऋणदाता– केन्द्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों के लिए अन्तिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है। आज भी केन्द्रीय बैंक अन्तिम ऋणदाता के दायित्वों को निभा रहे है।
5. विदशी विनिमय कोषों का संरक्षण–केन्द्रीय बैंक विदेशी विनिमय कोषों के संरक्षण के रूप में भी कार्य करता है। यह कार्य केन्द्रीय बैंकों को भुगतान संबन्धी कठिनाइयों को दूर करने तथा विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता लाने में सहायक होती है।
6. समाशोधन गृह का कार्य–केन्द्रीय बैंक सदस्य बैंकों के लिए समाशोधन गृह का कार्य करता है। केन्द्रीय बैंक के समाशोधन गृह कार्य का अर्थ वह विभिन्न बैंकों के एक दूसरे के लेन–देन, न्यूनतम नकदी के साथ निपटा देती है, जिसमें पारस्परिक लेन–देन का निपटारा कम मुद्रा में ही हो जाता है।

साख नियंत्रण

कीमतों में हो रही स्फीतिकारी वृद्धि को नियंत्रण करने हेतु भारतीय रिजर्वबैंक ने साख नियंत्रण के लिए जो उपाय अपनाया है उसे साख नियंत्रण विधि कहते है, ये दो प्रकार के होते है–

1. परिणात्मक साख नियंत्रण
2. गुणात्मक या चयनात्मक साख नियंत्रण

1. परिणात्मक साख नियंत्रण– रिजर्वबैंक द्वारा सामान्यतया प्रमुख परिणात्मक साख नियंत्रण के अस्त्र है जो साख की मात्रा को प्रभावित करता है।

1. बैंक दर– वह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्वबैंक द्वारा व्यवसायिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है जो केन्द्रीय बैंक प्रारम्भिक कटौती के उपरान्त जिस दर पर व्यवसायिक बैंकों को ऋण प्रदान करते है।
2. रेपो दर–वह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्वबैंक द्वारा व्यवसायिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है उसे रेपो दर कहते है।
3. रिवर्स रेपो दर– वह ब्याज दर जिस दर पर भारतीय रिजर्वबैंक अल्पकालीन जमाओं पर व्यवसायिक बैंकों को ब्याज देती है उसे रिवर्स रेपो दर कहते है।
4. खुले बाजार की क्रियायें–खुले बाजार की क्रियाओं से तात्पर्य केन्द्रीय बैंकों द्वारा मुद्रा बाजार में ग्राह्य प्रतिभूतियों के क्रय–विक्रय से है। खुले बाजार की क्रियाओं का प्रयोग साख नियंत्रण या मौद्रिक नीति के अस्त्र के रूप में ही नहीं बल्कि सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय–विक्रय स्वयं रिजर्वबैंक करता है।
5. नकद कोष अनुपात– इस विधि के अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक व्यवसायिक बैंकों को कुछ नगद रूप से रिजर्वबैंक के पास जमा करना पड़ता है। यदि यह दर ऊँची होगी तो साख निर्माण कम होगा इसके विपरीत नगद कोष कम होने पर साख की मात्रा बड़ेगी, यह साख निर्माण को प्रभावित करता है।
6. वैधानिक तरलता अनुपात– वैधानिक तरलता अनुपात भारत में कार्य करने वाले सभी प्रकार के बैंक अनुसूचित बैंकों (देशी/विदेशी) की सकल जमाओं का कुछ भाग अपने पास नगद रूप से सुरंक्षित कोष के रूप में रखना पड़ता है। जो आपातकाल में निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

गुणात्मक या चयनात्मक साख नियंत्रण

चयनात्मक साख नियंत्रण वे तरीके है जो साख की मात्रा या परिमाण को नहीं बल्कि उसके प्रवाह को अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से नियंत्रित करता है।

इसका प्रमुख उद्देश्य व्यापारिक बैंकों द्वारा अवांछित आर्थिक क्रियाओं के लिए साख देने पर रोक लगाना या उन्हे हतोत्साहित करना है।

रिजर्वबैंक प्रमुख रूप से तीन चयनात्मक विधियों का प्रयोग करता है–

1. कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियों की आड़ में ऋण देने के संबंध में न्यूनतम सीमा निर्धरित करता है।
2. कुछ विशेष उद्देश्य के लिए दिये गये ऋणों या सुविधाओं की ऊपरी सीमा निर्धारित कराना।
3. कुछ विशेष प्रकार के ऋणों पर विभेदात्मक ब्याजदर लगाना।

महत्वपूर्ण प्रष्न–

1. मुद्रा के प्राथमिक कार्य क्या है।
2. दोहरे संयोग की आवश्यकता का क्या अर्थ है।
3. बैंक दर क्या है।
4. मुद्रा के मुख्य कार्यो का उल्लेख करो।
5. मुद्रा वह धूरी है, जिसके चारों ओर अर्थव्यवस्था चक्कर लगाती है।
6. वस्तुविनिमय प्रणाली क्या है, इसकी प्रमुख कठिनाईयों का उल्लेख कीजिए।
7. केन्द्रीय बैंक की परिभाषा दीजिए और उसके कार्यों की व्याख्या कीजिए।